ALL INDIA POWER ENGINEERS FEDERATION

(REGISTERED UNDER SOCITIES ACT XXI of 1860), Regd. No. 24085/93
REGD HEAD OFFICE B-1A/45A, Janakpuri, New-Delhi-10058
Corres. Address of CHAIRMAN-Hydel Field Hostel, 17 Rana Pratap MargLucknow-226001
M: 09415006225 Phone : 0522-4107706(Off), FAX:0522-2205417/0522-4079628
Email : ersdubey@yahoo.com / ersdubeylko@gmail.com & chairmanaipef@gmail.com

No.02-2022/FOCUS 02-01-2022

फोकस

साल 2021 पावर सेक्टर और कर्मचारी/इंजीनियर संगठनों के लिए उतार-चढ़ाव वाला साल रहा है। साल के अंत में जिस तरह से केंद्र सरकार को एक साल तक चले किसान आंदोलन के सामने घुटने टेकने पड़े, वह निश्चित रूप से संघर्ष की बेजोड़ कहानी है। किसानों के ऐतिहासिक संघर्ष को क्रांतिकारी सलाम।

वर्ष 2021 की शुरुआत में बिजली क्षेत्र में निजीकरण की एक नई पहल बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 के प्रारूप के रूप में सामने आई। विधेयक का मसौदा सामने आते ही देश के 15 लाख बिजली कर्मियों ने अपनी बात रखी और

3 फरवरी को कड़ा विरोध और राष्ट्रव्यापी कार्य का बहिष्कार किया । साल भर चली जन जागरूकता और विरोध के चलते बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 को संसद में पेश नहीं किया जा सका, लेकिन 2022 एक नई चुनौती लेकर आ रहा है.

उत्तराखंड के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने जुलाई 2021 में कुल हड़ताल का सहारा लेकर चुप्पी तोड़ी। अक्टूबर 2021 में फिर से उत्तराखंड बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के नोटिस ने सीएम उत्तराखंड को सीधे हस्तक्षेप करने और संयुक्त कार्यवाही समिति के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर किया। एमपी

पावर कर्मचारियों और इंजीनियरों ने भी सफल हड़ताल का सहारा लेकर एकता और एकजुटता का प्रदर्शन किया। एसईए (SEA) एमएसईबी (MSEB) ने भी हड़ताल का नोटिस दिया और सफलता हासिल की। निजीकरण के खिलाफ बार-बार हड़ताल करने के लिए चंडीगढ़ यूटी और पुडुचेरी यूटी पावर कर्मचारियों को सलाम।

केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में निजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसे किसी भी समय निजी घरानों को सौंपा जा सकता है। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू-कश्मीर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ 33 केवी बिजली सबस्टेशन के विलय और पीजीसीआईएल के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के प्रस्ताव को जेके पावर कर्मचारियों द्वारा विफल कर दिया गया। जिस तरह से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने पिछले दरवाजे से निजीकरण की प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाई, वह काबिले तारीफ है। 17-18 अक्टूबर की मध्यरात्रि से सफल हड़ताल का परिणाम यह हुआ कि 96 घंटे की हड़ताल के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का प्रशासन-एक तरह से केंद्र सरकार को मजबूर होकर पीछे हटना पड़ा और संयुक्त उद्यम के प्रस्ताव को रोकना पड़ा। वर्ष 2020 के अंत में यूपी बिजली कर्मचारियों ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी के निजीकरण के प्रस्ताव को विफल कर दिया, इसी तरह जब 2021 बीत रहा था, जम्मू-कश्मीर के बिजली कर्मचारियों ने पूरे देश के बिजली कर्मचारियों को वर्ष के रूप में संघर्ष और सफलता का अद्भुत संदेश दिया। जम्मू-कश्मीर के बिजली कर्मियों और इंजीनियरों को क्रांतिकारी बधाई।

वर्ष 2021 में, कोविड-19 की दूसरी घातक लहर के बीच बिजली आपूर्ति को बनाए रखने के प्रयास में, देश भर में हजारों बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन सभी बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों को विनम्र श्रद्धांजलि जो आज हमारे बीच नहीं हैं।

आइए हम 2021 में हुई कुछ विशेष घटनाओं पर एक विहंगम दृष्टि डालें।

<u>बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 - वितरण का लाइसेंस लाभ कमाने वाले क्षेत्रों के निजीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा</u>

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन बिजली को एक आवश्यक सेवा के रूप में मानता है न कि एक वस्तु के रूप में। इसके अलावा, शहरीकरण और इंटरनेट के संदर्भ में बिजली एक मौलिक अधिकार बन गया है क्योंकि अन्य सभी सेवाएं

बिजली पर निर्भर हैं। यह सब बिजली के संबंध में सभी निर्णय लेने का आधार होना चाहिए। 2003 में, कानून बदला गया और इसके मद्देनजर उद्योग की पूरी संरचना को बदल दिया गया।

कानून, संस्थानों और शासन तंत्र के साथ अठारह वर्षों के अनुभव की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और उसके आधार पर आवश्यक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। ओडिशा, नागपुर, औरंगाबाद, मालेगांव, गया, भागलपुर, समस्तीपुर, आगरा, उज्जैन, ग्वालियर, सागर और अन्य स्थानों में शहरी वितरण फ्रेंचाइजी में निजीकरण के प्रयोग बुरी तरह विफल रहे हैं और किसी भी अन्य विधायी परिवर्तन के लिए जाने से पहले नीति की समीक्षा की आवश्यकता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक समरूप राष्ट्र नहीं है। यह विशाल अंतर, सामाजिक-आर्थिक क्षमता वाला एक संघीय देश है और इसलिए सेवा करने के लिए लागत का भुगतान करने की क्षमता काफी भिन्न होती है, उद्योग में किए गए विकास और निवेश का चरण भी भिन्न होता है।

दुर्भाग्य से, इस अवसर का उपयोग समीक्षा और पुन: कार्य करने के बजाय, विधायी परिवर्तन एक टुकड़े के भोजन के आधार पर किए जा रहे हैं। चूंकि विद्युत (संशोधन) विधेयक 2020 का कड़ा विरोध था, विद्युत अधिनियम 2003 को पतंगे के रूप में संशोधित किया जा रहा है और विद्युत (संशोधन) विधेयक 2021 के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस तरह के तदर्थ उपाय खतरनाक हैं, क्योंकि बिजली एक जटिल विषय है। कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम और कुछ हितों के अनुरूप संशोधन करने से फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है।

संशोधनों का उद्देश्य वितरण क्षेत्र में कई खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करना है, DISCOMS को केवल एक और खिलाड़ी में बदलना जो एक व्यक्ति या यहां तक कि एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के बराबर होगा, बिना किसी सार्वजनिक जवाबदेही के फ्रेंचाइजी बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता, शहरी और ग्रामीण के बीच कृत्रिम भेद जब कि बिजली के प्रवाह में कोई बाधा नहीं होती है, बिजली क्षेत्र में बहुत कम या कोई विशेषज्ञता के बिजली मंत्रालय के नौकरशाहों के लिए सीईआरसी के अध्यक्ष के चयन को सीमित करके नीति को लागू करके नीति की अनियंत्रित निरंतरता सुनिश्चित करना है। एक और उद्द्येश्य है कमीशन को न केवल अनुबंधों में निर्णय लेने के अधिकार प्रदान कर बल्कि उसे सिविल कोर्ट की शक्तियां भी दे कर और लोड प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया होने के बावजूद भुगतान शेड्यूल सुनिश्चित करने के प्रेषण केंद्रों को लोड करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी दे कर, वास्तविकता में अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण बनाना है।

बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 जो संबोधित करने में विफल रहता है, वह है किसानों सहित अधिकांश लोगों की सेवा की लागत का भुगतान करने में असमर्थता, नियामकों द्वारा कई फ्रेंचाइजी की धोखाधड़ी को न रोक पाने का अनुभव, मीटरिंग की लागत खुदरा (घरेलू) तियोगिता को रोकती है, इसे अव्यवहार्य बनाती है। ओपन-एक्सेस के कारण पहले से ही बड़े उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धा है, नेटवर्क के आधुनिकीकरण करने में, मीटरिंग की लागत का अनुमान लगाना और तकनीकी नुकसान को कम करने के लिए वितरण नेटवर्क के सुधार के लिए पूंजी निवेश का वैकल्पिक उपयोग करने में मौजूदा निजी वितरण विफ रहा है ।

निजी वितरण कंपनियों द्वारा चेरी चुनना सबसे बुरा होगा क्योंकि उनके पास सार्वभौमिक बिजली आपूर्ति दायित्व नहीं होगा। सरकारी डिस्कॉम्स के नेटवर्क का उपयोग करते हुए निजी कंपनियां केवल लाभ कमाने वाले क्षेत्रों में ज्यादातर वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करके पैसे का खनन करेंगी, जो सरकारी डिस्कॉम्स को आर्थिक रूप से नष्ट कर देगा।

चूंकि बिजली भारत के संविधान के तहत एक समवर्ती विषय है, इसलिए राज्यों के महत्वपूर्ण हिस्सेदारों जैसे उपभोक्ताओं और बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों को बाहर करके बिजली अधिनियम 2003 में संशोधन करने की कवायद संविधान के विपरीत ही होगी।

केंद्र शासित प्रदेशों में निजीकरण

चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा की गई पूरी बोली प्रक्रिया धारा 63 के ढांचे पर आधारित नहीं है क्योंकि न तो भारत सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन सरकार अनुमोदित दिशानिर्देशों को दिखाने में सक्षम रहीं है अतः बोली लगाने का कानूनी आधार ध्वस्त हो जाता है।

चूंकि यूटी प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने केंद्र सरकार द्वारा जारी मानक बोली दस्तावेजों के अनुरूप सफल बोलीदाता का चयन किया है, और चूंकि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एसबीडी अभी भी भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए हैं, इस प्रकार है यह पूरी प्रक्रिया अवैध है और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है, और पूरी तरह से बर्खास्त होने के योग्य है। भारत सरकार के अनुमोदन/अधिसूचित SBDs के अभाव में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली वितरण के निजीकरण की पूरी कवायद अवैध हो जाती है और वे खत्म करने के पात्र हैं।

चंडीगढ़ में, उपभोक्ता फोरम और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में आए क्योंकि चंडीगढ़ में नुकसान एकल अंकों में है - लगभग 9%। इसके अलावा, चंडीगढ़ की बिजली हरियाणा और पंजाब से सस्ती है। गोयनका की निजी क्षेत्र की कंपनी, कोलकता इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, कोलकाता में सबसे अधिक कीमत पर बिजली बेच रही है। चंडीगढ़ में बिजली मंत्रालय ने इसी कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को चंडीगढ़ बिजली देने का फैसला किया है। यह कॉर्पोरेट्स के लाभ के लिए एक खेल है।

ऐसा ही मामला दादरा नगर हवेली दमन और दीव के निजीकरण का है जिसे टोरेंट पावर को सौंपा जाना है। इसको भी खत्म कर देना चाहिए। पुडुचेरी सरकार भी निजीकरण के लिए आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में टकराव अपरिहार्य है।

33 केवी सिस्टम को एसटीयू में विलय करने और पीजीसीआईएल के साथ जेवीसी बनाने का बिजली मंत्रालय का प्रस्ताव

बिजली मंत्रालय भारत सरकार ने सभी राज्यों को सर्कुलर जारी कर 33 केवी सिस्टम को स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी में विलय करने और पीजीसीआईएल के साथ एसटीयू की संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन की सलाह दी है। यह पीजीसीआईएल सीएमडी की अध्यक्षता वाली एक समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। समिति की कार्यवाही और रिपोर्ट में राज्य डिस्कॉम, राज्य सरकार और राज्य नियामक जैसे प्रमुख हितधारक शामिल नहीं हैं। इसलिए विद्युत मंत्रालय समिति की सिफारिशें/निष्कर्ष एआईपीईएफ को स्वीकार्य नहीं हैं। राज्य डिस्कॉम के आंतरिक मुद्दों पर केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय का हस्तक्षेप मान्य नहीं है। राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार हानि को कम करने के मुद्दे को राज्य स्तर पर एसईआरसी/आयोग के मार्गदर्शन में संबोधित किया जाना है। बिजली मंत्रालय के नीतिगत मामलों को डिस्कॉम के कामकाज के आंतरिक मुद्दों पर निर्देशित करने के दृष्टिकोण संघीय ढांचे/समवर्ती विषयों के संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ हैं और बिजली मंत्रालय का दृष्टिकोण राज्य डिस्कॉम को उनके नुकसान जैसे मुद्दों को हल करने के लिए स्वायत्तता देने के लिए होना चाहिए। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131 राज्य सरकार को विभाजन के बाद नई कंपनियों की संरचना पर निर्णय लेने के लिए स्वायत्तता प्रदान करती है और इस विकल्प का पहले ही प्रयोग

किया जा चुका है। बिजली अधिनियम 2003 और 2005 की राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार एसईआरसी/राज्य नियामक आयोगों द्वारा पहले से ही नुकसान में कमी का मुद्दा एक गंभीर रूप से महत्वपूर्ण विषय है।

<u>बिजली खरीद समझौतों की समीक्षा</u>

ऐसे कई मामले हैं जिनमें राज्यों/डिस्कॉमों ने अतिरंजित ऊर्जा मांग अनुमानों के आधार पर आईपीपी के साथ 25 वर्षों के पीपीए करा किये, जबकि वास्तविक संचालन पर स्टेशनों को ऊर्जा जरुरत कम होने के कारण उन्हें बंद करना पड़ा परन्तु क्षमता शुल्क का भुगतान करना पड़ा हालांकि कोई उर्जा पूर्ति नहीं हो रही थी । पंजाब, मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्य इस समस्या का अत्यधिक सामना कर रहे हैं।

उच्च लागत पीपीए का मुद्दा अधिक व्यापक और गंभीर होता जा रहा है। थर्मल परियोजनाएं जिनके लिए पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जबकि राज्य पहले से ही अधिशेष में है- जैसा कि एमपी और पंजाब के मामले में है। इसके कारण स्टेशनों से पूरी बिजली पूर्ति वर्ष के केवल 1 या 2 महीने के लिए होगी जबकि शेष 10 या 11 महीने के लिए बैक डाउन होगा और बिना ऊर्जा पूर्ति के क्षमता शुल्क का भुगतान किया जाएगा। यह समस्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और पंजाब में है। सौर पीपीए के मामले में जिन पर कई वर्ष पहले 10 या 15 रुपये प्रति यूनिट की प्रचलित दर पर हस्ताक्षर किए गए थे जबकि अब दरें घटकर 3 प्रति यूनिट के आसपास हो गई हैं। उन मामलों से निपटने के लिए जहां डिस्कॉम 25 वर्षों तक उच्च लागत पीपीए में करार-बंद है एक नीति ढांचे की आवश्यकता है ।

<u>संकट के दौरान आईपीपी द्वारा कोयला संकट और कालाबाजारी</u>

अक्टूबर 2021 में कोयला संकट एक विनिर्मित संकट था। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। कोयला संकट के कारण बिजली संकट पैदा हो गया। ऊर्जा विनिमय पर बिजली 20-21 रुपये में प्रति यूनिट पर बिकी। । यह उन्हीं लोगों ने किया जो संकट के लिए जिम्मेदार थे। गुजरात के मूंदरा में टाटा और अदानी के 4000 मेगावाट के दो पावर प्लांट हैं। दोनों एक तटीय क्षेत्र में स्थित हैं, और दोनों आयातित कोयले पर आधारित हैं। उन्होंने आयातित कोयले के लिए आक्रामक बोली लगाई और उन्हें ईंधन लागत के समायोजन के साथ 25 वर्षों

के लिए कोयले का भुगतान करना था। दोनों ने संकट काल में अपने संयंत्रों को यह कहते हुए बंद कर दिया कि आयातित कोयले की कीमत बढ़ गई है। जब गुजरात और पंजाब ने कहा कि वे ऊंची दरों पर भी बिजली खरीदेंगे, तो उन्होंने अपने संयंत्र 1400 मेगावाट पर चलाए। ये ही लोग हैं जिन्होंने अपनी बिजली 20 रुपये प्रति यूनिट बाजार में बेची। वे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के कोयले का इस्तेमाल कर सकते थे जैसा कि वे संयंत्रों को चालू रखने के लिए पहले करते थे।

एआईपीईएफ ने बिजली मंत्री को पत्र लिखकर इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने को कहा है। हम इसे आम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं।

<u>निजीकरण</u>

बिजली के निजीकरण का सीधा संबंध किसानों के संघर्ष से है। उनको मेरा नमस्कार। यह स्वतंत्रता के लिए दूसरे संघर्ष की तरह है। उनकी मांगों में बिजली बिल को निरस्त करना भी शामिल है। वे बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 के परिणामों को समझ चुके हैं। किसानों को नलकूपों से पानी पंप करने के लिए बिजली की जरूरत है। यदि किसान को बिजली की वास्तविक कीमत चुकानी पड़े तो क्या परिणाम होगा। आज बिजली की औसत कीमतलागत लगभग रु. 7.50 प्रति यूनिट है। चूंकि निजी कंपनियों को न्यूनतम 16% वृद्धि की अनुमति है, इसके बाद इसकी लागत 9 रु प्रति यूनिट हो जाएगी। तो 7.5 हौर्स पावर के नलकूप का उपयोग करने वाले वाले छोटे किसान का औसतन वार्षिक बिल 80,000 से 90000 रुपये होगा।

आम लोग सोचते हैं कि निजीकरण अच्छा है। यह भ्रामक है। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है। 200-400 इकाइयों के लिए आधी दर या छूट है। लेकिन निजी बिजली कंपनियों को पूरा रेट मिलता है और सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है जो करदाताओं का पैसा है। मुंबई में 12-14 रु. प्रति यूनिट घरेलू उपभोक्ता के लिए दर है। टाटा और अदानी दोनों मुंबई के विशेष क्षेत्रों में काम कर रहे हैं; अदानी ने 12.20 रु. और टाटा 12.15 रु. दर लगता है । सरकार केवल यह कहकर जनता को बेवकूफ बना रही है कि निजीकरण प्रतिस्पर्धा लाएगा और टैरिफ कम करेगा। यह कैसे किया जा सकता है जब 25 साल का महंगा पीपीए जारी रहेगा। ये निजी कंपनियां केवल मौजूदा सरकारी नेटवर्क / बुनियादी ढांचे का उपयोग करेंगी और मुनाफ़ा कमाएंगी।

लोगों के लाखों करोड़ रुपये खर्च कर बिजली का बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। और केंद्र सरकार इसे निजी कंपनियों को देना चाहती है जो बिना एक

पैसा खर्च किए इसका इस्तेमाल कर सकें। वे बिजली वितरण को बिना-लाइसेंस कर देना चाहते हैं। दोपहिया वाहन चलाने के लिए भी लोगों के पास लाइसेंस होना जरूरी है। लेकिन बिजली वितरण के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। लोग बस पंजीकरण कर सकते हैं और वे बिजली की आपूर्ति के लिए पात्र होंगे। पहले, बिजली उत्पादन को लाइसेंस मुक्त किया गया था, परिणाम यह है कि अब 34,000 से अधिक ईंधन की उच्च लागत और अन्य कारणों से मेगावाट उत्पादन बेकार पड़ा है। यह जनता का पैसा है जिसे बर्बाद किया जा रहा है पूंजीपतियों का पैसा नहीं।

सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण और संपत्ति का मुद्रीकरण भारत के लिए अच्छा नहीं है और पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश ने आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण किया है, जैसा कि थॉमस इसाक, पूर्व वित्त मंत्री, केरल और ईएएस शर्मा, पूर्व बिजली सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र और लोक सेवा पर पीपुल्स कमीशन द्वारा एक रिपोर्ट "निजीकरण: भारतीय संविधान का एक अपमान" कहता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार रणनीतिक क्षेत्रों में न्यूनतम उपस्थिति वाली राष्ट्रीय संपत्ति के निजीकरण की दिशा में एक आक्रामक धक्का देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने अर्थव्यवस्था के अन्य सभी क्षेत्रों में अपनी कंपनियों का नियंत्रण छोड़ने या बंद करने का निर्णय लिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण और सार्वजनिक संपत्तियों को अलग-थलग करने का यह एजेंडा देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था को कुछ अपरिवर्तनीय और गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। एम.जी. देवसहायम ने अपनी प्रस्तावना में उल्लेख किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म करने और सार्वजनिक संपत्तियों का मुद्रीकरण करने का अर्थ है हमारे राष्ट्रीय आर्थिक हितों, हमारी आर्थिक स्वतंत्रता और संप्रभुता को अंतरराष्ट्रीय वित्त पूंजी और कॉर्पोरेट संस्थाओं के हितों के अधीन करना।

2022 में आने वाली चुनौतियां

2021 का साल संघर्ष का साल रहा। महामारी की आड़ में न केवल कोविड-19 से संघर्ष चल रहा था, बल्कि केंद्र सरकार जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र को कुछ चुनिंदा निजी घरों को बेचने पर तुली हुई है, संघर्ष जारी रहा। जीवन के अस्तित्व के लिए संघर्ष और राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी संघर्ष चला। राष्ट्रीय

मुद्रीकरण पाइपलाइन के नाम पर रेलवे, बीएसएनएल, पेट्रोलियम, बिजली, बैंक, बीमा, आयुध निर्माणी जैसे बुनियादी क्षेत्रों को चुनिंदा निजी घरों को पट्टे पर देने की खुली घोषणा की गई। आज सबसे बड़ा राष्ट्रीय धर्म राष्ट्रीय संपत्ति की बिक्री को रोकना है।

विद्युत क्षेत्र में निजीकरण के पहले से ही विफल प्रयोग को रोकने के लिए विद्युत (संशोधन) विधेयक 2021 को रोकना आवश्यक है, 33 केवी पावर सबस्टेशन को राज्य पारेषण उपयोगिता के साथ विलय और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के साथ जेवीसी के गठन को रोकना आवश्यक है तथा उत्पादन के क्षेत्र में राज्य सरकार क्षेत्र में अधिक से अधिक विद्युत उत्पादन स्थापित किया जाए।

वर्ष 2022 में हम इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, हमें यह पक्का संकल्प लेना है।

पीएसयू पावर सेक्टर बचाओ - भारत बचाओ!
इंकलाब जिंदाबाद

शैलेंद्र दुबे

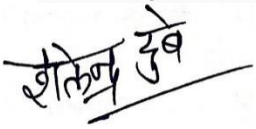

अध्यक्ष